व्यक्तित्व और कृतित्व
श्री बजरंगलाल अग्रवाल

मैं बचपन से ही बजरंग लाल जी को अपना गुरू मानता रहा हूँ। अपना कार्यक्षेत्र बिल्कुल अलग है। बजरंगलाल जी एक गंभीर चिन्तक तथा समाजशास्त्री हैं और मैं एक कलाकार। वे निष्कष निकालते हैं किन्तु मैं निष्कर्षो को नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से समाज तक पहुँचाता हूँ। फिर भी मै मानता हूँ कि मैं कला के क्षेत्र में अब तक अपनी जो भी पहचान बना सका हूँ वह उन्हीं के अप्रत्यक्ष आशीर्वाद का अंश है जो मुझे भविष्य में भी अच्छे परिणाम देता रहेगा।

श्री बजरंगलाल जी एक सामान्य व्यवसायी परिवार के हैं तथा सन् पचपन से आज तक अपने शहर आर्य समाज के प्रधान हैं। सत्य और अहिंसा उनके जीवन का सार रहा है कटु सत्य अत्यंत सहज, सरल भाषा में प्रस्तुत करना इनकी विशेषता रही है। कटु सत्य पर अंत तक डटे रहने के कारण इनके मित्र और प्रशंसक कम ही बन पाये। किन्तु किसी भी स्थिति में धैर्य बनाए रखने और आवेश से बचने के प्रयास के कारण इनके शत्रु भी नहीं बन सके। ये समय के बहुत पाबंद तथा लीक छोड़कर चलने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं। ये विचारक, संत तथा राजनीतिज्ञ हैं। मैं उन्हें अपना प्रणाम करता हूँ।

मेरा उद्दश्य उनकी प्रशंसा करना नहीं है। मैं तो उनके विचार आप तक पहुँचाना चाहता ह् जो उनकी अपनी भाषा में है। उनके सम्पूर्ण जीवन कम को उनके शब्दों में प्रकटीकरण के आठ खंड हो सकते हैं जो प्रत्येक खंड उनके भाषण में चालीस से साठ मिनट करीब का होता है। प्रत्येक खंड का प्रश्नोत्तर कम में संक्षिप्त विश्लेषण दो तीन मिनट में होता है किन्तु विस्तृत विवरण तथा उक्त खंड के संबंध में प्रश्नोत्तर में करीब दो घंटे लग जाते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में मैं उनके कियाकलापों से संबंधित विचार खंड़ों का बहुत सक्षिप्त विवरण तथा वैचारिक निष्कर्ष संबंधी खंड की विस्तृतः समीक्षा प्रस्तुत करूँगा।

उनके अधिकांश विचार मौखिक ही है। पुस्तक बहुत कम है। उसके दो कारण हैं (1) वे कभी धन मांगते नहीं। न कभी चन्दा मांगा न किसी संस्था, शासन या अन्य कहीं से धन की व्यवस्था की। प्रशंसकों ने स्वेच्छा से जो कुछ दिया या परिवार ने जो कुछ आर्थिक सहायता की उसी से चिन्तन को गति दी। सन् चौरासी से निन्यान्नबे तक के वैचारिक अनुसंधान पर करीब पचास लाख रूपया खर्च हुआ किन्तु बजरंगलाल जी का व्यक्तिगत जीवन बहुत ही कंजूसी से ही चलता रहा। आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि पुस्तकें छपवा छपवाकर निःशुल्क बांटी जावें। दूसरी ओर खरीदने वाला कोई था कहीं और पैसा मांगना इनका स्वभाव भी नहीं था। अतः साहित्य प्रकाशन नगण्य ही रहा। आपने विचार मंथन में सहायक मानकर ज्ञानतत्व (पूर्व मे तत्वबोध) पत्रिका पचीस तीस वर्षो से जारी रखी जिसका पंचान्नब प्रतिशत लेख या प्रश्नोत्तर के रूप में आप ही लिखते रहे। पत्रिका का शुल्क भी पांच प्रतिशत ग्राहक ही भेजते रहे किन्तु पत्रिका हमेशा जारी रही। दूसरी बात यह भी रही कि वर्ष निन्यान्नबे तक आप अपने विचारों को अनुसंधान का हिस्सा मानने के कारण अनिश्चित मानते रहे जो बाद में बदल सकते हैं। अतः लिखने की जल्दी से बचते रहे। तीसरा कारण यह भी था कि आप प्रसिद्धि को विचार मंथन में बाधक मानते थे। अतः लिखने से बचते रहे। कारण चाहे जो हा किन्तु आपने पुस्तकें कम लिखीं। मैं इस पुस्तक के माध्यम से आप तक उनके कियाकलापों और विचारों की एक संक्षिप्त रूप रेखा पस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ।

प्रथम खंड

उक्त खंड में बजरंगलाल जी के बाल्य काल से जून पचहत्तर तक का विवरण है। आप पंद्रह वर्ष की उम्र में ही कट्टर हिन्दुत्व से टकराव होने से कैसे इसाइयों के निकट गये, कैसे आर्य समाज ने आपको पुनः हिन्दू धर्म से निकटता प्रदान की, सत्रह वर्ष की उम्र में ही नगरपालिका अध्यक्ष बने और तब से सन् चौरासी तक जनसंघ तथा भाजपा के सक्रिय सदस्य रहे। कई बार आपकी हत्या के प्रयास हुए किन्तु आप सदैव अहिंसक और संवैधानिक मार्ग से बचते रहे। इस कालखंड में आपने पूरे शहर को साथ लेकर किस तरह अपराध, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, मिलावट, आर्थिक असमानता आदि के विरूद्ध स्थानीय संघर्ष किया वह सब इस खंड में शामिल है।

द्वितीय खंड

इस खंड में जून पचहत्तर से पचीस दिसम्बर चौरासी तक का विवरण हैं अठारह माह की आपातकालीन जेल में कुछ नेताओं के साथ भविष्य में सत्ता मिलने पर संभावित परिवर्तन की रूपरेखा, सन् सतहत्तर में सत्ता आने तथा योजना से जुड़े एक साथी के केन्द्रीय मंत्री, दूसरे साथो के मध्यप्रदेश के गहमंत्री तथा स्वयं जिला जनतापार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद एक वर्ष में ही चमत्कारिक परिणामों की संभावना, पूरी ईमानदारी और लगन से मिलकर सारे प्रयत्न करने के बाद भी सात वर्षो में कोई सार्थक परिवर्तन न होने तथा पच्चीस दिसम्बर चौरासी को अपनी हार स्वीकार करते हुए राजनीति से सन्यास की घोषणा की इस खंड में विस्तृत व्याख्या है। उन्होंने सन्यास के समय यह निष्कर्ष घोषित किया कि सत्ता के माध्यम से समाज में परिवर्तन संभव नहीं हैं क्योंकि समस्याएँ वे नहीं हैं जैसी दिख रही है।

खंड तीन

पच्चीस दिसम्बर चौरासी को रामानुजगंज शहर के कोलाहल से दूर एक पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा आश्रम बनाकर तथा वहॉ रहकर तीन विषयों पर अनुसंधान शुरू किया। **(1)** भारत आगे जा रहा है कि पीछे ?
(2) शासन के प्रयत्न समाधान में कितने सहायक है और कितने बाधक ?**(3)**समस्याओं के समाधान क्या है ? पंद्रह वषा तक चले इस अनुसंधान की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी तरह स्वदेशी थी। भारत में शायद यह पहला वैचारिक अनुसंधान है जिसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया की पूरी तरह विदेशी परिपाटी से मुक्त रखा गया। देश भर के अनेक विद्वानों एवं विचारकों की निरंतर सक्रियता के बाद भी सम्पूर्ण अनुसंधान प्रचार से दूर रह सका। सितम्बर पंचान्नब तक अनुसंधान के प्रारंभिक निष्कर्षो के आधार पर बने भारत के प्रस्तावित संविधान के प्रकाश में आते ही मध्यप्रदेश सरकार का अनुसंधान पर बर्बर और अमानवीय आक्रमण, बजरंगलाल जी को नक्सलवादी घोषित करके न्यायालय में नक्सलवादी और समानान्तर सरकार चलाने का आरोप, सभी राजनैतिक दलों का शासन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन, रामानुजगंज शहर के सभी छोटे–बड़े शासकीय कर्मचारियों तथा नागरिकों का आश्रम को प्रत्यक्ष समर्थन, सर्वोदय, आचार्य कुल, आर्यसमाज, जैसी संख्या के कुछ लोग, झारखंड के दो मंत्री तथा केन्द्र सरकार के एक मंत्री का आश्रम को अप्रत्यक्ष समर्थन, उच्च न्यायालय में कलेक्टर द्वारा खेद व्यक्त, कलेक्टर पर मानहानि का मुकदमा आदि घटनाकम इस खंड का हिस्सा है। इस खंड को सुनने से यह पता चलता है कि शासन किसी सीमा तक बर्बर हो सकता है, कितना प्रपंच रच सकता है, किस सीमा तक नीचे गिर सकता है, फिर भी यदि अहिंसा और सत्य के आधार पर धैर्य और सक्रियता रखी जाये तो किस तरह संकट टल सकते है। विदित हो कि पूरी ताकत से आश्रम को छिन्न–भिन्न करने के बाद भी कुछ व्यवधान के बाद अनुसंधान चलता रहा और चार नवम्बर निन्यान्नबे को अनुसंधान पूरा करके भारतीय संविधान में व्यापक संशोधनों का अंतिम प्रारूप स्वदेशी भारतीय संविधान के रूप में एक सादे समारोह में देश भर के विद्वानों ने समाज को समर्पित कर दिया। उक्त संशोधनों के प्रारूप की छपी पुस्तक का मूल्य एक रूपया है तथा उक्त प्रावधानों के विश्लेषण पर छपी पुस्तक का विक्रय मूल्य पंद्रह रूपये रखा गया है। बजरंगलाल जी के अन्य चिंतन का ज्ञानतत्व मंथन नाम से पुस्तककार किया गया है जिसका मूल्य पांच रूपया है।

चौथा खंड

इस खंड में अनुसंधान के तीन निष्कषो की विस्तृत व्याख्या है। विस्तृत विवरण पुस्तक के अन्त में बजरंगलाल जी के अपने शब्दों में प्रस्तृत किया गया है।

पांचवा खंड

इस खंड में संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, कर प्रणाली, परिवार प्रणाली, ग्राम स्वराज्य, अपराध नियंत्रण, लोग स्वराज्य, फांसी की सजा का विकल्प, संविधान संशोधन, विदेश नीति, भाषा, आर्थिक असमानता में कमी, श्रम महत्व वृद्धि, भ्रष्टाचार नियंत्रण, जातिवाद साम्प्रदायिकता नियंत्रण, मिलावट जालसाजी नियंत्रण, चरित्र उत्थान, आतंकवाद नियंत्रण आदि समस्याओं के समाधान की विस्तृत और संवैधानिक रूप रेखा प्रस्तत है। इसी खंड में महंगाई, मुद्रा स्फीति, शिक्षित बेरोजगारी, दहेज? आदिवासी हरिजन महिला उत्पीड़न आदि अनावश्यक, भ्रमपूर्ण अथवा कम महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या भी की गई है। इस खंड में आर्थिक सामाजिक तथा प्रशासनिक समस्याओं के समाधान का संवैधानिक मार्ग भी बताया गया है।

खंड छः

इस खंड में चार नवम्बर निन्यान्नब से पांच अक्टूबर दो हजार चार तक का रामानुजगंज नगरपालिका (नगर पंचायत) क प्रयोगों का विस्तृत विवरण है। इसमें बजरंगलाल जी ने अपने स्वदेशी संविधान के घोषणापत्र के आधार पर चुनाव लड़कर नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव जीता, नगरपालिका के कानूनों में स्थानीय आधार पर फेरबदल किया, स्वदेशी पद्धति से शहर की प्रशासनिक व्यवस्था चलाई, तीव्र विकास तथा अपराध नियंत्रण क नये नये कीर्तिमान स्थापित किये। शासन ने पुनः टकराने का प्रयास किया किन्तु शासन को दबना पड़ा तथा रामानुजगंज नगरपालिका में अक्टूबर पांच तक पांच वर्षो तक अनुसंधान के निष्कर्षो के आधार पर धरातल पर प्रयोग जारी रहा।

खंड सात

इस खंड में अनुसंधान तथा प्रयोगों के बाद सम्पूर्ण योजना में सबसे बड़ी बाधा देश की उच्चश्रृखंला राजनीति को बताकर कहा गया है कि भारत का कस्टोडियन लोकतंत्र यदि मैनेजर प्रणाली में बदल दिया जाये तो राजनीति पर स्वाभाविक नियंत्रण लग सकता है। भारत की जनता से स्पष्ट किया गया है कि राजनीतिक स्वच्छन्दता पर संवैधानिक अंकुश ही स्वदेशी संविधान संशोधनों की बाधा दूर कर सकता है। कस्टोडियन प्रणाली पूरी तरह पश्चिम देशों के लोकतंत्र की नकल है जिसे वामपंथी और अधिक मजबूत करते हैं। स्वामी दयानन्द से लेकर गांधी तक किसी ने एसी प्रणाली का समर्थन नहीं किया। इस प्रणाली को बदलने हेतु त्रिसूत्रीय संविधान संशोधन के पक्ष में ऐसा प्रबल जनमत खड़ा करने की आवश्यकता है कि भारत का सम्पूर्ण राजनैतिक जनमानस कस्टोडियन प्रणाली के पक्ष या विपक्ष में ध्रुवीकृत हो जाये।

खंड आठ

इस खंड में आपको सक्रियता के मार्ग बताये गये हैं। त्रिसूत्रीय संविधान संशोधन अभियान तथा सम्पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन हेतु आपकी पृथक–पृथक भूमिका लोक स्वराज्य मंच की भूमिका, सदस्यता, ज्ञान यज्ञ के तरीके, आदि सभी क्रिया कलाप इस खंड में शामिल हैं।

इस तरह श्री बजरंगलाल जी के व्यक्तित्व, कृतित्व, चिंतन तथा निष्कर्षो को आठ खंडों में विभाजित करके पृथक–पृथक या सम्मिलित भाषण का संक्षिप्त ऊपर बताया गया है। उक्त खंड़ों में से खंड चार का विस्तृत तथा अन्य का स्पश करते हुए एक भाषण उन्हीं के शब्दों में आपके समक्ष प्रस्तुत है।

सम्मानीय भाइयों और बहनों

जीवन को अन्य घटनाओं को छोड़ते हुए मैं यहॉ से अपनी बात प्रारंभ करूँ कि सत्ता के शीर्ष पदो पर जाने के बाद भी हम राजनैतिक में भारत की समस्याओं में कोई कमी नहीं कर सके तो मैंने पच्चीस दिसंबर चौरासी को राजनैतिक पदो से सन्यास की घोषणा करके एक अनुसंधान शुरू किया जा पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित था। इस अनुसंधान के तीन विषय थे (1)भारत की प्रमुख समस्याओं की पहचान (2)उनका कारण (3)उनका समाधान । पहले विषय के अनुसंधान के बाद यह निष्कर्ष निकला कि भारत राष्ट्र के रूप में तो बहुत आगे गया है किन्तु समाज के रूप में निरंतर पीछे गया है। भारत में भौतिक रूप से पर्याप्त प्रगति हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी प्रकार के उत्पादन, सड़क, पानी बिजली आदि सभी क्षेत्रों में हम आगे गये हैं। अब कई मामलों में तो हम विकासशील के स्थान पर स्वयं को विकसित राष्ट्र कहने जा रहे हैं किन्तु ग्यारह समस्याएँ ऐसी हैं जो भारत में लगातार बढ़ी हैं, बढ़ रही हैं तथा देश के किसी राजनैतिक दल के पास इन ग्यारह में से किसी एक का भी समाधान नहीं है। ये समस्याएँ निम्नांकित हैं :–

(1) चोरी, डकैती और लूट

(2) बलात्कार – दिल्ली सहित सम्पूर्ण भारत में बढ़ती बलात्कार की घटनाएं इसके स्पष्ट प्रमाण हैं।

(3) मिलावट और कम तौल – सारे भारत में पतिवर्ष मिलावट बढ़ती जा रही है। अब तो यहॉ तक हालत पहुँच चुकी है कि कोई वस्तु शुद्ध मिलेगी इसकी न तो कोई गारंटी है न ही विश्वास। अच्छी–अच्छी प्राणरक्षक दवाओं में भी मिलावट खुलेआम हो रही है।

(4) जालसाजी और धोखाधड़ी– पहले ता व्यापार में या राजनीति में ही धोखा की बात सुनी जाती थी, किन्तु अब तो रेल टिकिट, बैंक एकाउन्ट या रजिस्टो स्टॉम्प तक जाली आने लगे हैं। प्रति वर्ष जाल साजी के पुराने रेकार्ड टूटते और नये बनते हैं। हर्षद मेहता का रेकार्ड तेलगी ने तोड़ा है और भविष्य में तेलगी का कीर्तिमान भी तोड़कर कोई न कोई बढ़ेगा ही।

(5) हिंसा और आतंक – सम्पूर्ण भारत में आतंकवाद बढ़ रहा है, सीमावर्ती क्षेत्रों में अलग तरह का आतंक है ता बिहार, यू.पी. में अपहरण एक उद्योग का रूप गहण कर चुका है। बीच के क्षेत्रों में नक्सलवाद बढ़ रहा है। आम नागरिक का न्याय प्राप्ति के लिए कानूनों पर विश्वास घट रहा है और बल प्रयोग पर बढ़ रहा है। गांधी जी ने वचन दिया था कि स्वतंत्र भारत का प्रत्येक व्यक्ति भय मुक्त होगा। पचपन वर्षो में हुआ क्या ? प्रत्येक अपराधी और गुंडा तो भय मुक्त हो गया और हर शरोफ आदमी गुंडों से भी डर रहा है और पुलिस से भी।

(6) भ्रष्टाचार

(7) चरित्र पतन – सन् सैंतालिस से आज तक भारत के आम नागरिक के भी चरित्र में गिरावट आई है और संस्थाओं के चरित्र में भी। एक भी ऐसी राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक यहॉ तक कि आध्यात्मिक संस्था भी नहीं है जिसके चरित्र में उल्लेखनीय गिरावट ना आई हो अथवा ना आ रही हो। पूरे भारत में चरित्र का संकट पैदा होता जा रहा है।

(8) साम्प्रदायिकता – हमने सन् सैंतालिस में कल्पना की थी कि भारत विभाजन के बाद हमने कम से कम एक समस्या से तो सदा सदा के लिये मक्ति पा ली। किन्तु हम देख रहे हैं कि भारत विभाजन होने के बाद भी साम्प्रदायिकता घटने की जगह पर बढ़ती चली गई। स्वतंत्रता पूर्व तो सिर्फ हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच साम्प्रदायिक कटुता थी किन्तु वह तो अब बढ़ते बढ़ते इसाइयों और सिखों तक फैल गई है। धीरे धीरे भारत एक नये विभाजन की ओर खतरनाक गति से बढ़ रहा है।

(9) जातीय कटुता – स्वतंत्रता के समय हमने सोचा था कि छुआछूत मिटेगी और जाति प्रथा घटेगी। पचपन वर्षो में छुआछूत लगभग समाप्त हुई है। जाति प्रथा भी पहले की अपेक्षा कम हुई है किन्तु जातिवाद भी बढ़ा है और जातीय कटुता भी। यह आश्चर्य जनक है कि छुआछूत और जाति प्रथा के घटने के बाद भी जातीय कटुता क्यों बढ़ी ? किन्त यह पूरी तरह सच है कि जातीय कटुता तीव्र गति से बढ़ी भी है और बढ़ भी रही है।

(10) आर्थिक असमानता – यह समस्या भी लगातार बढ़ो है। गरीब आदमी चींटी की चाल से आगे बढ़ रहा है और धनी आदमी हवाई जहाज की रफ्तार से। दोनों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है।

(11) श्रम शोषण – हमने सोचा था कि स्वतंत्रता के बाद श्रम का महत्व भी बढ़ेगा और मूल्य भी। भारत में श्रम मशीनी उत्पादन से सीधा प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। किन्तु हुआ ठीक विपरीत। निरंतर श्रम की मांग घट रही है और किसी भी क्षेत्र में श्रम मशीनी उत्पादन समक्ष टिक नहीं पा रहा है। श्रम पूरी तरह उपेक्षित है और लगातार गॉवों से शहरों की ओर पलायन कर रहा है।

इन ग्यारह समस्याओं में वृद्धि तो हो ही रही है किन्तु भारत के किसी भी राजनैतिक दल के पास उपरोक्त ग्यारह में से किसी एक भी समस्या के समाधान की कोई योजना नहीं है। किसी भी शासन का दायित्व होता है कि वह प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा और न्याय दे किन्तु हमारे देश की व्यवस्था सुरक्षा और न्याय देने के बदले में समस्याओं की वृद्धि में सक्रिय को गई। ग्यारह समस्याओं में से प्रथम पांच शासन की निष्क्रियता के कारण बढ़ी है। शासन ने इन पांच समस्याओं के समाधान पर समुचित ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर दूसरी छः समस्याऍ शासन की अति सक्रियता का परिणाम थी। ये छः समस्याऍ शासन की अति सक्रियता के सह उत्पाद मात्र हैं, वास्तव में समस्या नहीं।

लोकतंत्र में आमतौर पर यह सिद्धान्त काम करता है कि जो शासन न्याय और सुरक्षा देने में जितना ही कमजोर होता है, वह अपनी विश्वसनीयता बनाये रखने के लिये उतनी ही अधिक सक्रियता से दस प्रकार के नाटक करता है।

(1) समाज को कभी एकजुट नहीं होने देना। समाज में धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, उम्र, लिंग, आर्थिक स्थिति और उत्पादक उपभोक्ता के रूप में वर्ग निर्माण करना, वर्ग विद्वेष फैलाना और वर्ग संघर्ष तक ले जाना। हमारे सभी राजनतिक दल प्री ईमानदारी से आठों आधारों पर या तो वर्ग निर्माण तक पहच चुके हैं या वर्ग संघर्ष तक। साम्प्रदायिकता, जातीय कटुता, तथा अनेक अन्य वर्ग संघर्ष इसी सक्रियता के परिणाम मात्र है। अन्य वर्ग निर्माणों ने हमारे समाज या गॉव में जहर बोया था, परिवार अछूता था। किन्तु महिला शोषित है और पुरूष शोषक, इस असत्य अथवा अर्ध सत्य प्रचार ने हमारे परिवारों में पति–पत्नि के बीच अविश्वास और असंतोष की दीवार खड़ी कर दी है। आप कल्पना करिये कि यदि पति–पत्नि के बीच यह अविश्वास बढ़ा तो कैसे भविष्य में आपके बच्च पैदा होंगे, कैसे उनका लालन पालन होगा, कैसा उनका संस्कार होगा। महिला समानता भी हो और परिवार में असंतोष भी न हो इसका बहत छोटा सा संविधान संशोधन पर्याप्त है किन्तु हमारे सभी राजनैतिक दल वह संशोधन छोड़कर बाकी सब प्रयत्न सिर्फ इसलिये कर रहे हैं कि उन्हें महिला समानता की अपेक्षा महिलाओं को पुरूषों के विरूद्ध वर्ग के रूप में खड़ा करना ज्यादा आवश्यक लगता है।

(2) समस्याओं का ऐसा समाधान करना कि उस समाधान में ही किसी नई समस्या की उत्पत्ति के अवसर मौजूद हों। हमारे सभी दल इस नीति का पूरी तरह अनुसरण करते हैं।

(3) राष्ट्र शब्द को ऊपर उठाकर समाज शब्द को नीचे गिराने का प्रयत्न पूरे भारत में लगातार यह असत्य जोर शोर से प्रचारित किया जाता है कि राष्ट्र समाज से बड़ा है। इस कार्य के लिये समाज शब्द के अर्थ को भी तोड़ मोड़कर प्रचारित करने की प्रथा है। मैंने स्वयं भी कई जगह पूछा तो लोग कहते हैं कि राष्ट्र समाज से बड़ा है। उनसे पुनः यह पूछने पर कि अमेरिका और पाकिस्तान का नागरिक समाज का अंक है या नहीं, तो वे है कहते हैं और तब उन्हें तुरंत समझ में आता है कि समाज बड़ा है। भारतीय या पाकिस्तानी शब्द समाज के टुकड़े हैं प्रकार नहीं। दुर्भाग्य से किसी षडयंत्र के अन्तर्गत इन्हें समाज के प्रकार बनाकर राष्ट्र को बडा बताने की कवायद होती रहती है।

(4) समाज में वैचारिक मुद्दों पर बहस को पीछे करके भावनात्मक मद्दों को आगे रखने के प्रयास भारत की संसद में जहॉ भारत के निर्वाचित भाग्य विधाता बैठकर विचार मंथन करते हैं वहॉ सारी बहस का चरित्र भावनात्मक तथा उत्तेजनात्मक ही रहता है। कभी वैचारिक मुद्द सामने नहीं आते। यहॉ तक कि भारत के आम चुनाव तक में कभी प्याज का मुद्दा बनाया जाता है तो कभी मंदिर को। कभी भी निर्वाचित प्रतिनिधियों का संसदीय आचरण उनकी चिन्तन क्षमता या दलो की नीतियॉ मुद्दें नहीं बनते।

(5) भारत के आम नागरिकों को शासक और शासित में बांटकर दोनों के बीच मनोबल का अन्तर करना। आम लोगों को अक्षम अयोग्य और अपढ़ प्रचारित करके उनमें यह भाव भरना कि व न गाव चला सकते हैं न परिवार। उन्हें व्यक्तिगत निर्णय के लिए भी शासन पर निर्भर रहना चाहिये। विचारणीय प्रश्न यह है कि हमारे बीच के लोग यदि अपना गांव या अपना घर भी चलाने की जानकारी और क्षमता नहीं रखते तो ऐसे अक्षम अयोग्य लोगों के बीच का ही एक आदमी संसद म पहुॅचते हो इतना योग्य कैसे हो जाता है कि वह सारे देश को चला सकता है। कौन सी उसकी परीक्षा हो गई कि घर न चलाने वाला देश चलाने लायक हो गया। पूरी तरह एक षड़यंत्र के अन्तर्गत यह प्रचारित किया जाता है कि गॉव को अधिक अधिकार देने से तो कोई अपराधी बैठ सकता है ओर गांव को परेशान कर सकता है। ऐसा कहने वालो से यह पूछना आवश्यक है कि ऐसा गांव पर अत्याचार करने वाले को यदि प्रदेश या केन्द्र का नेतृत्व मिल गया तो वह कितना खतरनाक होगा ?

(6) प्रत्येक नागरिक में अपराध भाव जागृत करने के लिये इतने अधिक कानून बनाना कि कोइ व्यक्ति उनका न पालन कर सके न सिर उठाकर चल सके। प्रत्येक राजनैतिक दल पूरी तत्परता से यह काम करता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति में अपराध बोध की भावना घर कर जाती है। किसान सरकारी रेट से कम मजदूरी देकर, शिक्षक ट्यूशन, पढ़ाकर, भिखारी बिना लाइसेंस के भीख मांगकर तथा चरित्रवान नेता अपने चुनाव व्यय का झूठा हिसाब देकर इस तरह कानून का उल्लंघन करता है कि अपराधियों के समक्ष सिर झुकाकर रहना उसकी मजबूरी बन जाती है। मकड़ी के जाल की तरह समाज में कानूना का जाल बिछा दिया गया है। सामान्य सा सिद्धान्त है कि यदि व्यवस्था की शक्ति की अपेक्षा कानूनों की मात्रा अधिक होती है तो अव्यवस्था फैलना निश्चित

है। भारत में व्यवस्था की अपेक्षा पचास गुने अधिक कानून बने हैं और नित नये–नये कानून बनाकर इनकी मात्रा बढ़ाई जा रही है क्योंकि कानून बनाने वालों का उद्दश्य आम नागरिकों का मनोबल तोड़ना है, बढ़ाना नहीं।

(7) सामाजिक समस्याओं का आर्थिक या प्रशासनिक समाधान, आर्थिक समस्याओं का सामाजिक या प्रशासनिक समाधान और प्रशासनिक समस्याओं का आर्थिक या सामाजिक समाधान करना। जुआ, शराब, गांजा, दहेज, छुआछूत, वैश्यावृत्ति सामाजिक समस्याए हैं। चोरी, डकैती, लूट, मिलावट, बलात्कार, आतंक, हिंसा आदि प्रशासनिक समस्याए हैं और महंगाई, बेरोजगारी, श्रममूल्य, गरीबी आदि आर्थिक समस्याए हैं। भारत में डकैतों का हृदय परितर्वन की सलाह दी जाती है और जुआ, गांजा, छुआछूत, दहेज वालों का जेल में डालने की बात होती है। चोरी और लूट को मजबूरी बताया जाता है और श्रम मूल्य बढ़ाने के लिये कानून बनाये जाते हैं। बिल्कुल हो विपरीत प्रक्रिया अपनाई जाती है।

(8) ' शासन की भूमिका बिल्लियों के बीच बन्दर के समान आवश्यक–बन्दर की तीन भूमिकाएँ होती है :– (1) बिल्लियों की रोटी कभी बराबर न हो (2) बन्दर हमेशा रोटियों को बराबर करता हुआ दिखें किन्तु करें बिल्कुल नहीं (3)छोटी रोटी वाली बिल्ली के मन में बड़ी रोटी वाली बिल्ली के विरूद्ध असतोष की ज्वाला निरंतर जलती रहे। यदि तीन में से एक भी बात पूरी नहीं हुई तो बन्दर भूखा रह जायेगा क्योंकि या तो रोटी बराबर हो जायेगी या बन्दर का विश्वास खत्म हो जायेगा या छोटी रोटी वाली बिल्ली उसी स्थिति में संतुष्ट हो जायेगी। इसलिये तीनों ही स्थितियॉ घातक हैं।

इस संबंध में हमारे देश की राजनीति पूरी ईमानदारी से तीना की काम करती है पचपन वर्षो से लगातार गरीबी भी दूर की जा रही है और आर्थिक असमानता भी। किन्तु दोनों ही दूर नहीं हो रहे हैं। झोपड़ी वाले को बराबर यह समझाया जा रहा है कि उसके बगल में जो भवन बना है वह उसका ही खन चूस चूस कर खड़ा किया गया है। उस भवन को गिरने से ही उसकी झोपड़ी में प्रकाश आ सकेगा। वह झोपड़ी वाला यह देख रहा है कि वह भवन तो प्रतिवर्ष एक मंजिल ऊपर जा रहा है किन्तु उसकी झोपड़ी अब भी वहीं की वहीं है। फिर भी राजनीति वाले उसके मन मे असंतोष अवश्य ही पैदा कर रहे हैं।

(9) आर्थिक असमानता वृद्धि के प्रजातांत्रिक प्रयास आवश्यक – यह काम बहुत ही सफाई से किया जाता है। इसके दो भाग हैं (1) जो वस्तुएँ गरीब लोग ज्यादा और अमीर लोग कम उपयोग करें उन पर अप्रत्यक्ष कर लगाकर प्रत्यक्ष सब्सीडी देना (2) जो वस्तुएँ अमीर लोग ज्यादा और गरीब लोग कम उपयोग करें उन पर प्रत्यक्ष कर लगाकर अप्रत्यक्ष सब्सीडी देना। भारत में साइकिल पर करीब ढाई सौ रूपया प्रति साईकिल कर लगता है और रसोई गैस पर सब्सीडी दी जाती है। तर्क दिया जाता है कि रसोई गैस तो आम आदमी उपयोग करता है किन्तु यह नहीं बताया जाता कि क्या साइकिल खास आदमी उपयोग करता है ? इसी तरह बैल गाय की खाने वाली खली पर टैक्स लगाकर ट्रैक्टर पर छूट देने के प्रावधान हैं। मिट्टीतेल की सब्सीडी तो सभी जानते हैं किन्तु खाद्य तेलों पर कितना भारी कर है यह सभी नहीं जानते। मैं जानता हूँ कि सरसों तेल पर कुल मिलाकर पांच स आठ रूपया प्रति लीटर का टैक्स है। खाद्य तेलो पर भारी कर लगाकर मिट्टी तेल पर सब्सीडी देने से गरीबों का कितना भला होगा यह ? तो नेता ही बता सकते हैं। भारत में अनाज, दाल, तेल, दवा, इंटा, खपड़ा, घास, भूसा तक पर कर लगाया जाता है और अखबार या पोस्टकार्ड को सब्सीडी दी जाती है जबकि मेरे खेत में काम करने वाले सभी मजदूर मिलकर वर्ष में दस पोस्टकार्ड नहीं लिखते और मैं अकेला ही वर्ष में दस पोस्टकार्ड नहीं लिखते और मैं अकेला ही वर्ष में एक हजार पोस्टकार्ड का उपयोग करता हूँ। किन्तु पोस्टकार्ड का दाम बढ़ा, आवागमन महंगा हुआ, टेलीफोन या अखबार महंगा हुआ तो गरीब मर जायेगा और दाल या खाद्य तेल पर भारी कर लगा तो गरीब को असर नहीं होगा यह ना समझी की बात लगातार समझाई जाती है।

मैंने अपनी जमीन पर अपने खर्चे से पेड़ लगाये हैं। मैं अपने पेड़ बिना अनुमति के काट नहीं सकता क्योंकि उससे दुनियॉ का पर्यावरण प्रदूषित हो जायेगा। यदि मैंने अपने पेड़ शासन की अनुमति लेकर काट भी लिये तो उन पेड़ों पर सरकार बिक्री कर लेगी। मुझे दुख होता है कि वायु प्रदूषित करेगा स्कूटर, जीप और ट्रेक्टर वाला और टैक्स देगा पेड़ वाला। होना तो यह चाहिये था कि जिसकी जमीन में जिस मोटाई के जितने पेड़ खड़े हों उन्हें प्रतिवर्ष खड़े पेड़ के आधार पर पर्यावरण सब्सीडी दी जाय। किन्तु सब्सीडी देना तो दूर की बात है, उन पेड़ों से पैदा वनोपज भी कर मुक्त नहीं है।

(10) अपनी घोषित प्राथमिकताओं के क्रम में न्याय आर सुरक्षा को न्यूनतम महत्व देना सब जानते हैं कि शासन का प्रथम दायित्व न्याय और सुरक्षा होता है किन्तु शासन की प्राथमिकताओं में न्याय और सुरक्षा को अन्तिम प्राथमिकता माना जा रहा है। भारत की केन्द्रीय और प्रदश सरकारों का मिलाकर कुल बजट का सिर्फ एक प्रतिशत पुलिस और न्यायालय पर खर्च होता है। इस एक प्रतिशत के बजट के बाद पुलिस और न्यायालय पर खर्च होता है। इस एक प्रतिशत के बजट के बाद पुलिस और न्यायालय की नब्बे प्रतिशत शक्ति जुआ, शराब, गांजा, छुआछूत, हरिजन आदिवासी महिला उत्पीड़न, ई.सी. एक्ट, बाल विवाह, बाल श्रम, न्यूनतम मजदूरी आदि अनावश्यक गैर कानूनो कार्य नियंत्रण पर खर्च होती है। पांच प्रकार के अपराधों पर तो पुलिस और न्यायालय दस प्रतिशत ही शक्ति लगा पाता है। अभी पुलिस और न्यायालय गैर कानूनी कार्य नियंत्रण के दायित्व से पुलिस और न्यायालय गर कानूनो कार्य नियंत्रण के दायित्व से ओवर लोडेड हैं। पांच प्रकार क अपराध वे रोक ही नहीं पा रहे। पुलिस और न्यायालय पर बजट बढ़ाये बिना उनके दायित्वों में लगातार वृद्धि करते जाने के कारण उनकी कार्य क्षमता कम होती गई। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत के कुल बजट का दस पैसा अपराध नियंत्रण पर, नब्बे पैसा गैर कानूनी कार्य नियंत्रण पर तथा निन्यान्नबे रूपया अन्य कार्यो पर खर्च किया जाता है। जम्मू कश्मीर सरकार की पुलिस सुरक्षा नहीं दे पा रही और हमें सुरक्षा के लिये सेना भेजनी पड़ी है। वही जम्मू कश्मीर सरकार अपनी पुलिस और न्यायालय से पचास से अधिक बराती के भाजन को अपराध घोषित करके रोकवाने जा रही है। क्या यह काम इतना अधिक महत्व है कि उसे सुरक्षा से भी अधिक महत्व दिया जावे ? यदि हमारी गाड़ी के बैल दस क्विंटल वजन ढ़ोने की क्षमता ही रखते हैं और गाड़ी पर चालीस क्विंटल माल लदा है और आप अब उस पुलिस रूपी गाड़ी पर गुटका नियंत्रण या हेलमेट जैसे काय लादे जा रहे हैं यह या तो अपकी बदमाशी या मूर्खता। अर्थात् आपको पांच प्रकार के अपराध की उतनी चिन्ता नहीं।

हमारे सम्पूर्ण भारत की अब तक की राजनीति में विश्वनाथ प्रताप जी उ.प्र. के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने डकैती उन्मूलन को सवोच्च प्राथमिकता घोषित की। छः माह में ही डाकुआ ने उनके भाई की हत्या कर दी और विश्वनाथ प्रताप जी ने हार मानकर त्यागपत्र दे दिया। कुछ वर्ष बाद जब वे प्रधानमंत्री बने और उनसे प्राथमिकता पूछी गई तो उन्होंने भ्रष्टाचार उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, अशिक्षा उन्मूलन आदि का तो नाम लिया किन्तु उस समय वे डकैती उन्मूलन भूल गये। स्वतंत्रता के बाद पंडित नेहरू से लेकर अटल जी तथा मनमोहन जी तक एक भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने अपराध उन्मूलन की बात कही हो। यदि उन्मूलन संभव नहीं है तो कम से कम नियंत्रण ही घोषित करते। सिर पर मैला ढोने की प्रथा सहित सैकड़ों उन्मूलन इन राजनेताओं की सूची में शामिल है परन्तु अपराध नियंत्रण शामिल नहीं है।

संसद और विधान सभाओ में नेता लोग कानून बनाते हैं। इनके बनाये कानूनों के अनुसार बिना लाइसेंस की बन्दूक पिस्तौल का केश लोअर कोर्ट मे चलगा, बिना लाइसेंस के अनाज का स्पेशल कोर्ट में और बिना लाइसेंस के गांजा का और भी ऊपर। बन्दूक और पिस्तौल की अपेक्षा गांजा और दहेज को अधिक गंभीर अपराध क्यों बनाया जाता है यह पता नही। ऐसा लगता है कि अपराधियों के दबाव में हमारे नेता लोग कानून बनाते हैं और वे जिसे साधारण अपराध बना दें उसे ये भी साधारण मानकर उसके पक्ष में तर्क खोज लेते हैं। करीब सात आठ वर्ष पूर्व वाड्रफनगर (सरगुजा) में एक पण्डों की भूख से मौत को गई। भूख से हुई या बीमारी से यह विवाद का विषय नहीं है। मान लें कि वह भूख से ही मरा। पूरी मध्यप्रदेश सरकार भी वहॉ पहुँची और

प्रधानमंत्री नरसिंह राव भी हवाई जहाज लेकर वहॉ दौड़ पड़े। किन्तु उसके दो दिन पूर्व उसी के निकट बलरामपुर गॉव में डाकुओं ने दो लोगों की हत्या कर दी और सबकुछ लूट कर ले गये तो वहॉ कलेक्टर भी नहीं आया। अभी छः माह पूर्व हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्देश दिया है कि किसी प्रदेश में यदि किसी एक भी व्यक्ति की भूख से मौत होती है तो उस प्रदेश का मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। प्रश्न उठता है कि यदि नकली दवा से कोई मर जाय, बलात्कार से किसी महिला की मत्यु हो जाय या आतंकवादी कुछ लोगों का नर संहार कर दे तो क्या मुख्य सचिव या कोई अन्य जिम्मेवार नहीं होगा। भूख से कोई न मरे भले ही आतंक या मिलावट से कितने भी मर जावें यह प्राथमिकता कम से कम मुझ तो समझ में नहीं आती।

हमारी सरकारों के बनाये कानूनों के अनुसार यदि किसी राह चलते आदमी को दो चार झापड़ या दो चार जूता पीट दिया जावे तो पुलिस न केश कर सकती है न अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। धारा तीन सौ तेइस के लायक मारपीट पुलिस हस्तक्षेप से बाहर है किन्तु जुआ और दहेज में पुलिस केश भी कर सकती है और गिरफ्तार भी। पता नहीं क्या सोचकर एसी प्राथमिकताएँ बनाई गई हैं।

हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति नारायणन जी ने एक बहुत मार्क की बात कही थी कि न कानून का दोष है न ही बनाने वालों का। लोग ठीक से पालन ही नहीं करते तो क्या कानून करे और क्या कानून बनाने वाले। आश्चर्य हुआ जब अटल जी और सोनिया जी ने राष्ट्रपति जी के उक्त कथन की बहुत प्रशंसा भी की। मैंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा कि यदि मैं अपने भाइ को पागल खाना ले जाऊँ और डॉक्टर इलाज से यह कहकर पल्ला झाड़ ले कि मरीज उसकी बात नहीं समझता। प्रश्न उठता है कि यदि मरीज सब समझता होता तो उसे पागलखाने क्यों लाया जाता ? यदि इस देश में कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या विधान है तो सिर्फ उन लोगों के लिये है जा आचरण का स्वयं पालन नहीं करते। जो लोग स्वयं गलत आचरण नहीं करते उनके लिये कोइ सरकार आवश्यक नहीं है। यदि आप कानून तोड़ने वालो को कानून का पालन करने हेत मजबूर करने में सक्षम नहीं हैं तो आपको वेतन भत्ते लेना बंद करके स्वयं पद छोड़ देना चाहिये। आप पद पर बैठे रहें आर दायित्व से बचने का प्रयास करें यह कदापि उचित नहीं।

भारत में समस्याओं के कम इस तरह होने चाहिए थे–

(1) **वास्तविक**—चोरी, डकैती, मिलावट, बलात्कार, आतंक, जालसाजी, धोखा, हिंसा आदि |

(2)**कृत्रिम**—भ्रष्टाचार, चरित्र पतन, साम्प्रदायिकता, जातीय कटुता, आर्थिक असमानता, श्रमशोषण।

(3)**प्राकृतिक**—सूखा, बाढ़, भूकम्प, बीमारियॉ, भूख आदि।

(4)**भूमण्डलीय**—पर्यावरण प्रदूषण, बढती आबादी, अशिक्षा।

(5)**सामाजिक**— छुआछूत, बाल विवाह, नशा मुक्ति, सामाजिक न्याय आदि।

प्राथमिकताओं का कम बिल्कुल यही होना चाहिये था। किन्तु पचपन वर्षो से हमारी सरकारों ने इस कम को बिल्कुल उलट दिया है। सबसे ऊपर उन्होंने कुछ नई समस्याओं का समाधान रखा है जो अस्तित्व हीन समस्याएँ हैं। इनमें है महंगाई, शिक्षित बेरोजगारी, दहेज, मुद्रा स्फीति का दुष्प्रभाव आदि। सच्चाई यह है कि य समस्याएँ ही अस्तित्व में नहीं है बल्कि इन्हें समाज को धाखा देने के लिये भावनात्मक स्वरूप प्रदान किया गया है। सच्चाई तो इससे भी आगे बढ़कर है कि श्रम का शोषण करने के उद्दश्य से तीन नीतियॉ बनाई जाती है (1)शिक्षित बेरोजगारी दूर करना (2)न्यूनतम श्रम मूल्य वृद्धि के कानून बनाना (3)कृत्रिम ऊर्जा की मूल्य वृद्धि रोकना। एक षड़यंत्र के अन्तर्गत श्रम शोषण के लिये तीनों ही काम किये जाते हैं और तीनों ही कार्य इनकी प्राथमिकताओं के कम में एक नम्बर पर हैं। प्राथमिकताओं के कम में अपराध नियंत्रण बिल्कुल नीचे रखा गया है, पर्यावरण प्रदूषण और आबादी नियंत्रण से नीचे नहीं।

इस तरह हम अनुसंधान के बाद इस नतीज पर पहुँचे कि वर्तमान व्यवस्था शरीफों, गरीबों तथा श्रमजीवियों के शोषण के उद्दश्य से अपराधियों, पूँजीपतियों तथा बुद्धि जीवियों का एक योजनाबद्ध षड़यंत्र है। यह एक ऐसा चक्र है जिसके बीच में भारत का लोकतंत्र बैठकर इस चक्र को शक्ति प्रदान कर रहा है तथा बीच में फंसे आम आदमी को बहला फुसला रहा है कि यह चक उनकी सुरक्षा के लिये ही बना है। इस चक्र की पहचान तो कर ली गई पर तोड़ा कैसे जाये यह कठिन कार्य था।

इसी समय दिल्ली जाने के लिये मैं गढ़वा रोड स्टेशन पर टिकट की लाईन में खड़ा था। मैं देख रहा था कि कई लोग हम लोगों को धक्का देकर आगे जाते थे और टिकट ले आते थे और हमारी लाइन बहत धीरे–धीरे आगे बढ़ रही थी। मेरे लड़के ने आशंका व्यक्त की कि इस तरह तो गाड़ी छूट जायेगी। यदि आप अनुमति दे तो मैं भी टिकट ले आऊँ। मैंने हॉ कह दी। वह भी गया और टिकट ले आया। मैंने लड़के से पूछा कि उसने जाते समय एक बीमार और गरीब बुढ़िया को धक्का दिया। वह गिर गई। उसे उठाया भी नहीं और टिकट लाने चला गया तो उस लड़के ने कहा कि पिताजी लोकतंत्र में तो कमजोर को ही धक्का देना संभव है। यदि मैं कमजोर को धक्का नहीं देता तो क्या मजबूत को धक्का देता ? मैंने लड़के से फिर पूछा कि क्या यह उचित है ? तो उसने बड़े गर्व से मुझसे ही पूछा कि क्या यह उचित है कि धक्का देने वाले सब दिल्ली चले जाये और आप हम यहीं खड़े रह जायें। अब तक आप लोगों ने यही भूल की है जिसका परिणाम है कि धक्का देने वाले पचास वर्षो में इतनी तरक्की कर गये और आप कुछ न कुछ पीछे ही गये हैं। अब आपकी सन्तान ऐसी मूर्खता करने को तैयार नहीं है। यदि सब लोग लाईन से टिकट लेंगे तो हम भी लाईन में खड़े हैं और सब धक्का देकर आगे बढ़ेंगे तो हम वैसा भी करने के लिये तैयार हैं। मैं निरूत्तर था। मेरा हृदय कहता था कि लड़का गलत है। अन्याय करना अच्छी बात नहीं है। दूसरी ओर बुद्धि कहती थी कि लड़का ठीक कहता है अन्याय सहकर रहना भी अच्छी बात नहीं। आज तक मैंने इस प्रकरण पर बहुत सोचा। समाज में एसी घटना के संबंध में तीन मत है –

(1) हमें खड रहना चाहिये चाहे कुछ भी हो। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। धक्का देकर टिकट लेना बिल्कुल उचित नहीं। जो लोग पचास वर्षो से शराफत से जी रहे हैं वे भले पिछड़ गये किन्त ठीक है। गायत्री परिवार, आर्य समाज तथा अनेक धार्मिक संत ऐसा ही मानते हैं।

(2) जो लोग धक्का दे रहे हैं उन्हें समझाना चाहिये कि धक्का देना ठीक नहीं। वे हमारी बात चाहे सुने या न सुने किन्तु हमें न तो अपने प्रयत्न छोड़ने चाहिये और नहीं धक्का देना चाहिये। ऐसा कहने वालों में मुख्य रूप से गांधीवादी अथवा सर्वोदय के लोग हैं।

(3) हमें धक्का देने वालो को बल पूर्वक रोक लेना चाहिये। न तो कमजोर को धक्का देना ठीक है न ही मजबूत को गाड़ी पर चढ़ने देना ठीक है। यदि जरूरी हो तो ऐसे लोगों को गोली मार दो जाये। ऐसे लोगों में नक्सल वादी प्रमुख हैं। किन्तु हम देख रहे हैं कि एक तरफ हमारी पुलिस और दूसरी तरफ नक्सलवादी आपस में ही संघर्षरत् हैं और धक्का देने वाले बड़े आराम से ट्रेन की सवारी कर रहे हैं। मैं विचार करता हूँ कि ये तीनों प्रयत्न गलत हैं। हमें सम्पूर्ण व्यवस्था को इस प्रकार बदलना है कि कोई व्यक्ति धक्का देकर आगे बढ़ने की हिम्मत ही न करें। हमें अपनी सारी शक्ति चरित्र निर्माण से हटाकर व्यवस्था बनाने में लगा देनो चाहिये क्योंकि चरित्र कभी भी शासन के माध्यम नहीं बदलता। चरित्र बनाने का काम समाज का है और व्यवस्था बनाने

का काम शासन का। यदि व्यवस्था ठीक होगी तो चरित्र स्वयं ही ठीक हो जायेगा और यदि व्यवस्था गड़बड़ हुई तो चरित्र सुधर ही नहीं सकता चाहे कितना भी प्रयत्न करें।

मैंने इस विषय में बहुत सोचा तो पाया कि हमारे समाज शास्त्रियों के प्रयत्न इस संबंध में विपरीत परिणाम दे रहे हैं। इतिहास बताता है कि जब व्यवस्था ठीक हो तो शराफत अच्छे परिणाम देती है किन्तु जब व्यवस्था गड़बड़ हो तो शराफत घातक हो जाती है। ऐसे समय में धूर्तता शराफत की सहायता से ही मजबूत होती है। शराफत खतरे में हो तो शराफत की सुरक्षा समझदारी से ही हो सकती है शराफत से नहीं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे सभी सामाजिक धार्मिक सलाहकार हमें लगातार शराफत का उपदेश दिये जा रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप धूर्तता और अपराध वृत्ति मजबूत हो रही है। आज शराफत छोड़कर समझदारो के प्रयोग करने की आवश्यकता है। किन्तु शराफत से शराफत की सुरक्षा हो नहीं सकती। गांधी जी ने कायरता की अपेक्षा संघर्ष की आवश्यकता बताई थी और अहिंसा को संघर्ष में शस्त्र बनाया था किन्तु हम आज अपनी कायरता को छिपाने के लिये अहिंसा को ढाल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। हमारे सामने सभी प्रकार के अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और हम अहिंसक लाग कोकाकोला के विरूद्ध संघर्ष छोड़कर संघर्ष का नाटक पूरा कर रहे हैं।

मैंने यह नतीजा निकाला कि हमारा सबसे पहला काम व्यवस्था परिवर्तन का होना चाहिये। जब तक यह व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं सुधरेगा क्योंकि हम पचपन वर्षो से आंख पर पट्टी बांधकर गाय के लिये आटा पीस रहे हैं और गाय को धक्का देकर कुत्ता खा रहा है। कुत्ता अब बहुत मजबूत हो गया है। हमें अब आटा पीसना बन्द करके अपनी सारी बुद्धि और शक्ति कुत्ते को हटाकर गाय की पहुॅच बनाने की व्यवस्था में लगानी चाहिये। जो लोग हमें अब भी और तेज गति से आटा पीसने की सलाह दे रहे ह वे या तो धूर्त हैं या मूर्ख। समझदार तो बिल्कुल नहीं। अतः व्यवस्था परिवर्तन ही एकमात्र मार्ग है। व्यवस्था से आशय संवैधानिक तथा राजनैतिक व्यवस्था से है सामाजिक व्यवस्था से नहीं क्योंकि जब तक राजनैतिक व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक हमारे प्रयत्न सफल नहीं होंगे। अतः समाज का यह तात्कालिक कर्तव्य है कि वह समाज सुधार के काया को रोककर राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास करें।

भारत की वर्तमान व्यवस्था का ठीक ठीक विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि भारत ने न कभी स्वदेशी व्यवस्था बनाई न ही स्वदेशी संविधान बनाया। भारत की समस्याओं की पहचान या तो वामपंथी देश करते रहे हैं या पश्चिम के पूॅजीवादी देश। यही दोनों इन स्व0 घोषित समस्याआ का समाधान भी बताते रहे हैं। वामपंथी देश भारत की प्रमुख समस्याओं में भूख, गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक, आर्थिक, असमानता, सामाजिक, आर्थिक शोषण जैसे मुद्दों को शामिल करके इसका इलाज बताते हैं ''वर्ग संघर्ष''। इन दोनों ने अपने प्रयत्नों से अपने एजेन्ट पूरे भारत में खड़े कर दिये हैं जो अपनी सारी शक्ति इसी प्रचार पर लगाते हैं। पश्चिम के पूॅजीवादी देश भारत की बढ़ती आबादी, जल संकट आदि को शामिल करके उसके लिये अनेक कानून बनाना ही इसका समाधान बताते हैं। ये देश भारत की अनेक संस्थाओं को अपार धन दे देकर उनसे ऐसी समस्याऍ उठवाते हैं और शासन को कर्ज या सहायता देकर उनका समाधान करवाते हैं। आज तक भारत ने कभी न अपनी समस्याओं पर सोचा और न ही उन समस्याओं के कोई स्वदेशी समाधान पर। वामपंथी या पूॅजीवादी विदेशी समस्याओं और उनके समाधान पर हमने पचपन वर्ष बिता दिये। आज भी हमारे अनेक विद्वान स्वदेशी का अर्थ स्वदेशी साबुन, स्वदेशी दंत मंजन या स्वदेशी शीतल पेय के उपयोग तक सीमित करके स्वदेशी आंदोलन चलाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि विदेशी व्यवस्था हमारी सबसे बड़ी समस्या ह।

हमने चार नवंबर निन्यान्नबे तक भारत की ग्यारह प्रमुख समस्याओं की पहचान कर ली और उनके समाधान के लिये स्वदेशी संविधान का प्रस्तावित प्रारूप उस दिन एक सादे समारोह में राष्ट्र को समर्पित कर दिया ह। उक्त संविधान की प्रस्तावना में पांच मूल तत्व रख गये (1) सत्ता का अकेन्द्रीयकरण (2) निश्चित अपराध नियंत्रण (3)अधिकतम आर्थिक समानता (4)श्रम महत्व वृद्धि (5)समान नागरिक संहिता। इन मूल तत्वों का क्रम भी ऊपर लिखे अनुसार ही रख गया। अनेक अनुच्छेदों में इस प्रकार संशोधन किया गया कि ग्यारह समस्याओं सहित अन्य अनेक समस्याओं का समाधान स्वदेशी तकनीक से हो जावे। चार नवंबर निन्यान्नब से आश्रम का काम बन्द करके जनमत जागरण की योजना बनने लगी। किन्तु वहॉ उपस्थित विद्वानों की राय थी कि इस स्वदेशी तकनीक का परीक्षण करने के बाद ही हमें जनमत जागरण शुरू करना चाहिये। रामानुजगंज शहर को इस परीक्षण के लिये चुना गया और मैं चुनाव लड़कर वहॉ का नगर अध्यक्ष बन गया। मेरा चुनाव घोषणापत्र मात्र चार लाइन का था कि चुनाव जीतकर मैं कुछ नहीं करूॅगा। आप मुझसे सड़क, पानी, बिजली, नाली कुछ तगादा नहीं करेंगे। मैं सिर्फ इतना ही करूॅगा कि शुक्रवार की शाम साढ़े पांच बजे आप लोग आफिस में बैठकर जो निर्णय लेंगे वह निर्णय मैं कार्यान्वित करा दूंगा। मैंने अपने शहर के लिये नगर पालिका अधिनियम के बाईलाज में कई फेर बदल किये। अपराध नियंत्रण का दायित्व नगर पालिका ने स्वीकार किया जो भारत पहला ही प्रयोग कहा जा सकता है। बैठकों में निर्णय की प्रणाली बदली गई तथा नगर पंचायत के कार्यो में नागरिकां की सहभागिता को वैधानिक स्वरूप दिया गया। परिणाम स्वरूप चोरी डकैती दादागिरी पर सफल नियंत्रण संभव हुआ, भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, पूर्ण पारदर्शिता स्थापित हुई तथा सबसे बड़ी बात यह हुई कि पिछले पचास वषा के कार्यकाल की अपेक्षा सा गुना अधिक विकास हुआ। मैं स्वय यह महसूस करता हूॅ कि यदि मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर तथा ऑफिस में बैठकर भी विकास करता तो पांच गुना से अधिक नहीं होता किन्तु बिना कार्यालय में समय दिये सिर्फ नियमों में फेर बदल करके वहॉ इतना अभूतपूर्व विकास हुआ। तत्कालीन कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ शासन से मेरी तानाशाही के विरूद्ध शिकायत की जिसके विरूद्ध मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। जोगी जी की कांग्रेस सरकार ने यद्यपि यह कहकर कोई छेड़छाड़ नहीं की कि कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं तथा यदि इन्हें बखास्त भी कर दें तो फिर यही लोग जीतेंगे। किन्तु उन्होंने मेरे संशोधित बाइलाज को स्वीकार भी नहीं किया। उस समय भाजपा मेरे संशोधन के पक्ष में थी। अब एक वर्ष से भाजपा सरकार है। ये भी मेरे प्रयोग में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं किन्तु ये भी इन संशोधनों पर विचार या स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं क्याकि इन्हें भी डर है कि यदि एक शहर में इन संशोधना को स्वीकार किया गया तो अन्य शहर भी ऐसे संशोधनों की मांग शुरू कर सकते हैं।

अपने पांच वर्ष के कार्यकाल की अन्तिम अवधि के पूर्व हम माननीय ठाकुर दास जी बंग के साथ एक माह तक पूरे देश में घूमें और अनुभव किया कि रामानुजगंज का प्रयोग कहीं दुहराना संभव नहीं है क्योंकि कानूनों में किये गये संशोधन वधानिक तरीके से न करके जबरदस्ती किये गये थे। यदि हम पूरे भारत की व्यवस्था में फेर बदल करना चाहते हैं तो हमें संवैधानिक तरीके ही अपनाने होंगे और इसमें आज सबसे बड़ी बाधा है भारत की बेलगाम और उच्चश्रृंखला राजनीति। राजनीति पर समाज का कोइ न कोई अंकुश लगाना ही होगा। राजनीति रूपी बर्बर शेर का पिंजड़े में बन्द करना ही होगा। जो लोग अच्छे लोगों को राजनीति में भजकर उस पर अंकुश लगाना चाहते हैं वे मृग तृष्णा में हैं। अच्छे लोग चुनाव जीत ही नहीं सकते और यदि कुछ जीत भी गये तो वहॉ जाकर वे भी वैसे ही हो जायेगे और फिर भी कोई नहीं बदला तो वहॉ से निकाल दिया जायेगा। अतः राजनीति पर अंकुश के लिये हमें संवधानिक व्यवस्था मे ही बदलाव करना होगा। भारत की संवैधानिक व्यवस्था कस्टोडियन प्रणालो की है जिसमें चुने हुए पांच सौ बयालीस लोगों को कस्टोडियन अधिकार प्राप्त है। कस्टोडियन उसे कहते हैं। जो किसी नाबालिग, पागल या गंभीर बीमार मालिक के सक्षम होते तक के अल्पकाल के लिये सरक्षक के रूप में नियुक्त होता है। ऐसे मालिक को यह अधिकार नहीं होता कि वह अपने कस्टोडियन को कभी भी हटा दे, कोई आदेश दे या निर्देश दे। मालिक पांच वर्ष में कस्टोडियन को बदलकर दूसरा कस्टोडियन ही रख सकता है जब तक वह बालिग को ही यह भी अधिकार दे दिया जावे कि वह

मालिक को स्वस्थ या बालिग होने का निर्णय करे तो वह कस्टोडियन मालिक को कभी बालिग या स्वस्थ घोषित ही क्यों करेगा ? भारतीय संविधान निर्माताओं ने यही भूल की या घपला किया कि संसद को ही संविधान संशोधन के अंतिम अधिकार दे दिये जिसका परिणाम है कि पचपन वर्षो के बाद भी भारत का लोकतंत्र न बालिग हुआ न स्वस्थ जबकि अठारह वर्ष में तो लड़का भी बालिग हो जाता है। यदि हमने स्वयं को बालिग और स्वस्थ घोषित नहीं किया तो ये राजनीतिज्ञ हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों तक के संरक्षक ही बने रहगे। भारत की सभी समस्याओं के समाधान के पूर्व हमें राजनीति पर समाज का कोई न कोई अंकुश लगाना ही होगा और इस अंकुश के लिये हमें कस्टोडियन सिस्टम को सबसे पहले बदलना होगा अर्थात् हमारे चुने हुए लोग हमारे संरक्षक नहीं मैनेजर होंगे क्योंकि हमने अपने को बालिग और स्वस्थ घोषित कर दिया है।

कस्टोडियन को मैनेजर बनाने के लिये हमें दो अधिकार प्राप्त करने होंगे (1)अपने मैनेजर को कभी भी हटाने का अधिकार (2)अपने मैनेजर को आदेश निर्देश देने का अधिकार।
(1)संविधान में यह संशोधन कर दिया जावे कि हम अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधि को कभी भी वापस बुला सकते हैं। इसकी कोई न कोई व्यवस्था संविधान में कर दी जावे। (2)केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार के अधिकारों की सूची के समान ही परिवार, गॉव और जिले के अधिकारों की सूची भी संविधान में जोड़ दी जावे तथा (3) नीति निर्देशक तत्वों के Optional स्वैच्छिक होने की व्यवस्था समाप्त कर दी जाये अर्थात् जो भी नीति निर्देशक सिद्धान्त संविधान में रहें वे शासन के लिये बाध्यकारी ही हो। यदि हम ये तीन अधिकार अपने पास ले लें तो राजनीति रूपी बर्बर शेर समाज क संवैधानिक पिंजड़े में बन्द हो जायेगा, राजनैतिक उच्चश्रृंखलता पर लगाम लगेगी तथा अन्य संशोधनों का मार्ग प्रशस्त होगा। शासन के अधिकार, दायित्व तथा हस्तक्षेप कम करना ही होगा और त्रिसूत्रीय संविधान संशोधन इसका प्रथम चरण हो सकता है।

पांच अक्टूबर दो हजार चार से मैंने रामानुजगंज छोड़ दिया हैं। अब मैं पूरी तरह जनमत जागरण के लिये उपलब्ध हूॅ। हम दो दिशाओं में एक साथ काम कर रहे हैं।

(1) **त्रिसूत्रीय संविधान संशोधन अभियान** – जो उच्चश्रृंखल राजनीति पर अंकुश के लिये हैं।
(2) **नई व्यवस्था के प्रारूप पर विचार मंथन**– जो ग्यारह समस्याओं के समाधान सहित नई संवैधानिक व्यवस्था बनाने में उपयोगी होगा।

पहला काम अधिक कठिन दिखता है, अतः हम लोगों ने सफलता के लिये संभावित अवधि पांच वर्ष अर्थात् दो हजार नौ तक की आकलित की है। देश भर में होने वाले समर्थन पर यह अवधि कुछ घट बढ़ भी सकती है। दूसरा काम कठिन नहीं है। सितम्बर दो हजार छः तक पूरे देश में एक बहस चलाकर देश के चुने हुए एक हजार लोगों को कहीं एक माह के लिये बिठाने की योजना है जो नई व्यवस्था के प्रारूप को अंतिम रूप दें। पहले कार्य के लिये हमने अब तक संगठन का जो नाम दिया है वह लोक स्वराज्य मंच है तथा दूसरे कार्य के लिये सकिय संस्था का नाम ज्ञान यज्ञ मंडल है। आप भी जुड़कर इसमें सहभागी हो सकते हैं।

कुछ प्रश्न

प्रश्न :– संविधान में संशोधन का अधिकार जिन सांसदों के पास है वे क्यों संशोधन करेंग ? यदि उन्होंने संशोधन नहीं किया तो आप क्या करेंगे ?

उत्तर :– यह स्थिति बिल्कुल स्वाभाविक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जनमत के समक्ष राजनीतिज्ञ झुक सकते हैं। यदि जनमत ठीक से जागृत हुआ और राजनीतिज्ञ नहीं झुके तब हमस लोग बैठकर आगे का विचार करेंगे कि संवैधानिक तरीके से संविधान संशोधन के लिये हमें क्या करना चाहिये।

प्रश्न :– क्या आप चुनाव भी लड़ सकते है ?

उत्तर:– मुझे तो ऐसी आवश्यकता नहीं दिखती। फिर दो तीन वर्षो बाद जैसी स्थिति होगी वैसा सब लोग बैठकर विचार करेंगे ?

प्रश्न :– जे.पी. आन्दोलन में भी हमने प्रयत्न किया पर सफलता नहीं मिली।

उत्तर :– हमें पर्याप्त सफलता नहीं मिलो यद्यपि तानाशाही की खतरा तो टला। जे.पी. आन्दोलन शुरू से ही अच्छ लोगा को सत्ता में भेजकर व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से था। सत्ता बदली परन्तु व्यवस्था नहीं बदली। इस बार हमारा लक्ष्य सत्ता परिवर्तन ही है। दूसरी बात यह है कि वह आंदोलन शुरू करने के पूर्व नये ढांच की कोई पूर्व तैयारी नहीं थी। इस बार हम सतर्क हैं। नयी व्यवस्था का पूरा ढांचा पूर्व में ही बनाने की तैयारी है।

प्रश्न :– जब तक लोगों का चरित्र नहीं बदलेगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी।

उत्तर :– यह बात पूरी गलत है। स्वतंत्रता के बाद के कालखंड में चरित्र तो बहुत अच्छा था किन्तु व्यवस्था क्यों बिगड़ती गई। सच्चाई यह है कि व्यवस्था गड़बड़ होने से चरित्र पतन हुआ है और व्यवस्था ठोक होने से चरित्र स्वतः ठीक होगा।

प्रश्न :– आप हमसे क्या चाहते है ?

उत्तर :– आप हमारे सहयोगी बने, संगठन से जुड़े, भाषण का आयोजन करें, प्रश्नोत्तर करें, साहित्य प्रसारित करावें, बैठकर योजना बनावें यह सब आप कर सकते हैं।

प्रश्न :– मुझे ता इस कार्य में सफलता नहीं दिखती।

उत्तर :– आपको यदि किसी और कार्य में सफलता दिखती हो तो आप हमारा मार्गदर्शन करें। हम उस मार्ग पर चलने को तैयार हैं। वर्तमान व्यवस्था को इसी तरह चलने देना हमें स्वीकार नहीं है।

प्रश्न :– आपने स्वदेशी के वर्तमान प्रयत्नों पर भी कटाक्ष किया है और मंदिर मुद्दे पर भी। क्या आप इन्हें गलत मानते हैं?

उत्तर:– बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी। एक राक्षस था। उस राक्षस से सब परेशान थे। सब लोग पूरी तरह से पचपन वर्ष तक उससे लड़ते रहे किन्तु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाये। एक ऋषि ने तपस्या द्वारा पता लगाया कि उस राक्षस के न मरने के दो कारण हैं।
(1) उस राक्षस के प्राण बहुत दूर एक पिंजड़ें में सुरक्षित तोते की गर्दन में है। जब तक वह तोता सुरक्षित है तब तक उक्त राक्षस मर ही नहीं सकता है।
(2) उक्त राक्षस के विरूद्ध लड़ाई में जो लोग लगे हैं उनमें कई लोग उस राक्षस के एजेन्ट हैं। ये एजेन्ट युद्धरत् लोगों में भ्रम फैलाते रहते हैं।

ठीक यही हाल आज है। हम जिस व्यवस्था से जूझ रहे हैं उसकी जान भारतीय संसद रूपी पिंजड़े में सुरक्षित बैठे भारतीय संविधान में है। हमं संविधान में संशोधन करना होगा। राजनीति रूपो दैत्य स्वयं ही परास्त हो जायेगा। दूसरी ओर हमारे इर्द गिर्द पूँजीवादी और साम्यवादी देशों के धन से संचालित लोग या संस्थाएँ हमें गुमराह करके हमारी प्राथमिकताएँ बदल रही हैं तथा हमें उक्त तोते की ओर कदम बढ़ाने से रोकती ह उनमें भी पिण्ड छुड़ाना होगा। मैं विदेशी आर्थिक जकड़न को भी खूब समझता हूँ और इस्लामिक कट्टरवाद को भी। किन्तु मैं वर्तमान स्थिति में यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि यदि देश से सारी विदेशी कम्पनियाँ बाहर कर दी जावें या भारत से मुसलमान और इसाई बिल्कुल निकाल दिये जावें तो ग्यारह समस्याओं म से कौन कौन सी सुलझ जावेंगी। मेरे विचार में चोरी, डकैती, मिलावट, बलात्कार, हिंसा, आतंक, चरित्र पतन, भ्रष्टाचार और जातिवाद पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः निर्णय करने के लिये भावनाओं से हटकर चिन्तन से काम करना उचित होता है।

आज भारत एक चौराहे पर खड़ा हैं। बड़ी संख्या में नागरिकां ने बन्दूक उठानी शुरू कर दी है। वर्तमान स्थिति को इस तरह न चलने दिया जा सकता है न ही चलनी चाहिये। यदि हमने वर्तमान स्थिति को बनाये रखने का पयास किया तो हिंसक क्रान्ति अवश्य भावी है। क्रान्ति तो होनी ही है। यदि हम हिंसक क्रान्ति के दुष्प्रभावों से अपनी भावी पीढ़ी को बचाना चाहते हैं तो तत्काल अहिंसक क्रान्ति के साथ जुड़ जाना चाहिये।

लेखक का निवेदन

मने श्री बजरंगलाल अग्रवाल के व्यक्तित्व और कृतित्व का संक्षिप्त रूप उनके भाषण के एक खंड को समेटते हुए आपके समक्ष पुस्तक के स्वरूप में रखने का प्रयास किया है। आपसे निवेदन है कि आप विस्तृत जानकारी हेतु उनसे प्रत्यक्ष वार्तालाप या विचार मंथन आयोजित करके शंकाओं का समाधान भी करें और भविष्य की योजनाओं में एक दूसरे का सहयोग करें। इस पुस्तक का मूल्य दो रूपया है जो लोग खरीदकर निःशुल्क वितरण करावें वे या तो स्वयं खरीदकर अपना नाम लिखकर वितरण कर सकते हैं अथवा हमारे कार्यकर्ता को दान राशि देकर रसीद ले लें। उतनी पुस्तक आपका नाम लिखकर निःशुल्क वितरण की व्यवस्था ज्ञान यज्ञ कार्यालय करेगा।

इस पुस्तक का प्रकाशन या इसके अंशों का प्रकाशन सुरक्षित नही है। कोई भी व्यक्ति छाप, वितरित या बिक्री के लिये स्वतंत्र हैं।

जो लोग बजरंगलाल जी से सीधा संपर्क करना चाहें वे निम्न पते व फोन पर संपर्क कर सकते है :–

श्री बजरंगलाल अग्रवाल

बनारस चौक, अम्बिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ 497001
फोन नं0 07774–231544 , मोबाईल 09425254192

आप मेरे पते से भी उनके विषय में तात्कालिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं –

आनन्द कुमार गुप्त

महामाया पेट्रोल पम्प के पीछे ''शिवपुर'' रिंग रोड, नमनाकला
अम्बिकापुर सरगुजा (छ0ग0) 497001
मोबाईल 098261–57295